



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001  
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.  
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

सं- 5067 -मा०सं०प्र०-०२/उनिलि०/2013-15एन०जी०/2001

दिनांक : 26 दिसम्बर, 2013

### कार्यालय ज्ञाप

**विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।**

एतदद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 1082-मा०सं०प्र०-(02)/उ०निलि०/2012-15एन०जी०/2001, दिनांक 03.08.2013 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०: सा-३-जीआई-२२/दस-२०१३-३०१/२००० टी०सी०, दि० ३०.१०.१३ में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक ०१ जनवरी, २००६ से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक ०१ जुलाई, २०१३ से बढ़ी हुई महंगाई राहत की १०(दस) प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स 'को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक ०१.०७.१३ से १०(दस) प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान ८०(अरसी) प्रतिशत की दर बढ़कर ९०(नब्बे) प्रतिशत हो जायेगी।

३. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

४. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं०: 1054-डब्लू०सी०/राविप-औ०सं०-१९-१४(२३)एफ-८५, दिनांक 10.06.88 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त) / महाप्रबन्धक(लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

५. मंहगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

मेरा  
राज्य विद्युत उत्पादन निगम

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

० २ ०

सं0:5067-(1)-गा0सं0प्र0-02 / उगिलि / 2013, तददिनांक :

प्रतिलिपि गिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सवित्र। ।
- (2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सवित्र।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सवित्र।
- (4) मुख्य अभियन्ता (स्तर- । / ।), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / कासिमपुर(अलीगढ़) / पनकी(कानपुर)।
- (5) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परियालन / (गा0रा0) / (कारपोरेट स्ट्रेटजी) / (ईधन) / (सुरक्षा एवं पर्यावरण) / (जानपद) / (वाणिज्य) / (आर0एणडएम0). उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (6) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (7) महाप्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (8) कम्बनी राचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (10) अधीक्षण अभियन्ता(रिकार्ड), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, समर्ती नगर लखनऊ के निगम की वेबसाइट [www.uprvunl.org](http://www.uprvunl.org) पर अपलोड करने हेतु ।
- (11) सवित्र, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (12) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (13) समस्त उप सवित्र/अधिशासी अभियन्ता/अनु राचिव/अनुपांग अधिकारी, धान्द रसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (14) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन) / लेखाधिकारी(देतन एवं लेखा) / (पेशन) / वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- (15) अध्यक्ष विद्युत पेशनसं परिषद् 103 कीर्ति शिखर आपार्टमेन्ट, लिंगापुर भुइयग, 12 रोड़ा रोड़, लखनऊ।
- (16) कट फाइल ।

अंका रो.

१५८३  
(एप0डी0गिश्र)  
उपग्रहाप्रबन्धक(गा0सं0 02)